

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसाइटी  
(निदेशालय चिकित्सा शिक्षा)  
चिकित्सा शिक्षा भवन, मनोचिकित्सा केन्द्र के सामने, गोविन्द मार्ग, जयपुर

क्रमांक: F.1(79)DME/Est./2016/ 5411


दिनांक: 14/8/2017

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश सं. 3641 दिनांक 31.05.2017 एवं समसंख्यक आदेश सं. 5241 दिनांक 04.08.2017 के द्वारा नवीन मेडिकल कॉलेज (भरतपुर, भीलवाडा, चूरु, पाली, डूंगरपुर) में चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।

आदेश की निरन्तरता में सभी अभ्यर्थियों द्वारा अपने पदस्थापन उक्त स्थान पर दिनांक 30.08.2017 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना सुनिश्चित किया जावे अन्यथा उसके पश्चात् कार्यग्रहण हेतु कोई समय वृद्धि नहीं की जायेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

  
समन्वयक


राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी  
जयपुर

क्रमांक: F.1(79)DME/Est./2016/

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजमैस, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमैस, जयपुर।
3. प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, पाली, चूरु, डूंगरपुर, भरतपुर एवं भीलवाडा।
4. सदस्य..... राजमैस, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. सम्बन्धित अभ्यर्थी डॉ. ....।
7. रक्षित पत्रावली।

  
समन्वयक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी  
जयपुर